The Hindu Plus Summary : 08.02.2024

मेन्स मास्टर

एक अच्छा संतुलन बनाएं, एक न्यायपूर्ण नागरिक संहिता रखें

प्रसंग:

• मुद्दा: भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का संभावित कार्यान्वयन, धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान व्यक्तिगत कानून लागू करना।

• कार्रवाई: भारत का विधि आयोग यूसीसी पर जनता से प्रतिक्रिया मांग रहा है।

पृष्ठभूमि:

• वर्तमान प्रणाली: विभिन्न धार्मिक समुदायों के पास विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर अपने व्यक्तिगत कानून हैं।

• **आलोचनाएँ**: कुछ समुदायों में बहुविवाह और एकतरफा तलाक जैसी प्रथाओं के कारण इस प्रणाली को भेदभावपूर्ण और पुराना माना जाता है।

• यूसीसी के लिए तर्क: समर्थकों का मानना है कि यह समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।

• यूसीसी के ख़िलाफ़ तर्क: विरोधियों को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के उल्लंघन का डर है।

जस्ट कोड क्या है?

• एकरूपता से परे: लेखक एक "न्यायसंगत कोड" की वकालत करते हैं जो निम्नलिखित को कायम रखता है:

  ○ समानता: धर्म की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार।

  ○ लैंगिक न्याय: महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन।

  ○ व्यक्तिगत अधिकार: संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का सम्मान।

  ○ सांस्कृतिक संवेदनशीलता: भारत के विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को पहचानना और उसका सम्मान करना।

यूसीसी की आवश्यकता:

• भेदभाव को संबोधित करना: लेखक कुछ व्यक्तिगत कानूनों के तहत अनुमति दी गई भेदभावपूर्ण प्रथाओं, जैसे बहुविवाह और एकतरफा तलाक पर प्रकाश डालते हैं।

• समानता को बढ़ावा देना: एक यूसीसी व्यक्तिगत कानून के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित कर सकता है।

• राष्ट्रीय एकता: कानूनों का एक सामान्य सेट संभावित रूप से राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को मजबूत कर सकता है।

यूसीसी से संबंधित मुद्दे:

• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: लेखक धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रतिक्रिया के बिना यूसीसी को लागू करने की कठिनाई को स्वीकार करते हैं।

सांस्कृतिक पहचान संबंधी चिंताएँ: संवेदनशीलता के बिना थोपा गया यूसीसी कुछ समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल सकता है।

• धर्मनिरपेक्षता मॉडल: लेखक पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता मॉडल को आँख बंद करके अपनाने के प्रति आगाह करते हैं जो शायद भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठता।

पश्चिमी गोलार्ध:

• संतुलन बनाना: लेखक विधि आयोग से एकरूपता और न्याय के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण खोजने का आग्रह करते हैं।

• चयनात्मक सुधार: संहिता को केवल उन प्रथाओं को समाप्त करना चाहिए जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, न कि अपने लिए एकरूपता लागू करना चाहिए।

• आंतरिक सुधार: लेखक धार्मिक समुदायों को अपने व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करने के लिए आंतरिक सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

बैंकों को निवेश आधारित विकास के लिए कमर कसनी चाहिए

प्रसंग:

• निवेश में गिरावट: भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में निवेश में चिंताजनक गिरावट देखी गई है। सतत विकास हासिल करने के लिए इस प्रवृत्ति को उलटने की जरूरत है।

• बुनियादी ढांचे का विकास और एमएसएमई विकास: बुनियादी ढांचे के विकास और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के विकास पर सरकार के फोकस के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह सहायता प्रदान करने में बैंक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं।

• निवेश-आधारित विकास: अंतरिम बजट हालिया उपभोग-संचालित मॉडल के बजाय निवेश-आधारित विकास पथ की ओर बदलाव का सुझाव देता है। इस बदलाव के कारण विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है।

बैंकों की भूमिका:

• बड़े पैमाने पर परियोजना वित्त: बड़े बैंकों को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मांग में प्रत्याशित उछाल को संभालने की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं वाले कुछ बड़े बैंक बनाने के लिए बैंक संरचना (1991) पर नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर दोबारा गौर करना आवश्यक हो सकता है।

• कम लागत वाली जमा राशि जुटाना: वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना ऋण की मांग को पूरा करने के लिए, बैंकों को कम लागत वाली जमा राशि आकर्षित करने की आवश्यकता है। इसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लंबी अवधि की जमा (10 वर्ष से अधिक) शामिल हो सकती है।

• परिसंपत्ति-देयता बेमेल से बचना: बैंकों को बेमेल से बचने के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए जिससे वित्तीय जोखिम हो सकते हैं। लंबी अवधि की जमा पर जोर देने से इसे हासिल करने में मदद मिलेगी।

• पर्यटक स्थलों पर विदेशी मुद्रा सुविधाएं: विकास चालक के रूप में पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। बैंकों को उभरते पर्यटन स्थलों में शाखाएँ खोलकर और विदेशी आगंतुकों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाएं प्रदान करके अपनी पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता है। इससे उनकी विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन बढ़ाना: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों को महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग लेने में मदद करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना इस प्रयास में सहायक हो सकता है।

• शिक्षा ऋण नीतियों पर दोबारा विचार करना: तकनीकी शिक्षा की बढ़ती लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के साथ, बैंकों को अपनी शिक्षा ऋण नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सुरक्षित ऋण के संबंध में। कार्यबल को कुशल और उन्नत बनाने के लिए शिक्षा के लिए वित्तपोषण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

• कम ब्याज दरों को अपनाना: कम ब्याज दर व्यवस्था की ओर अपेक्षित बदलाव से बैंकों की शुद्ध ब्याज आय पर असर पड़ेगा। उन्हें परिचालन दक्षता में सुधार, प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश और आय के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करके अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

समग्र आउटलुक:

• संरचनात्मक परिवर्तन: बैंकिंग क्षेत्र को विलय, एक समर्पित ग्रामीण इकाई के निर्माण और क्रेडिट मांग में प्रत्याशित वृद्धि को संभालने के लिए नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर संभावित रूप से फिर से विचार करने जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है।

• नए अवसर: बैंकों के पास अपनी रणनीतियों और पेशकशों को अपनाकर पर्यटन, महिलाओं के वित्तीय समावेशन और शिक्षा ऋण जैसे क्षेत्रों में बढ़ने के अवसर हैं।

• परिचालन समायोजन: कम ब्याज दरों के कारण लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए बैंक परिचालन में बदलाव की आवश्यकता होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप-जातियों में से संपन्न लोगों को कोटा सूची से हटाया जा सकता है

प्रसंग:

• सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की पीठ आरक्षण लाभ के लिए अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकृत समूहों की वैधता की जांच कर रही है।

• यह एससी श्रेणी के भीतर अधिमान्य आरक्षण देने वाले पंजाब कानून के खिलाफ एक चुनौती के जवाब में आया है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

• आरक्षण के भीतर बहिष्करण: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरक्षण में ही बहिष्करण अंतर्निहित है, क्योंकि पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अगड़ी जातियों को बाहर रखा गया है।

• उप-वर्गीकरण की आवश्यकता पर सवाल उठाया: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पिछड़े वर्गों के भीतर समृद्ध उप-जातियों के आरक्षण का लाभ उठाने के बारे में चिंता जताई, सुझाव दिया कि उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

• कमजोर वर्गों पर प्रभाव: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने पिछड़े समूहों के भीतर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ मिलने के बारे में चिंता व्यक्त की, जबकि वास्तव में हाशिए पर रहने वाले वर्ग वंचित बने हुए हैं।

हाइलाइट किए गए मुद्दे:

• समानता का संभावित उल्लंघन: एससी के भीतर उप-वर्गीकरण पिछले निर्णयों में स्थापित श्रेणी के भीतर समान अधिकारों की धारणा का खंडन कर सकता है।

• सामाजिक न्याय और दक्षता को संतुलित करना: आरक्षण के प्रभाव को गहरा करने और कमजोर वर्गों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ, सामान्य वर्ग के एक हिस्से को भी बाहर करने और योग्यता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

• संघीय बनाम राष्ट्रीय दृष्टिकोण: बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या राज्यों के पास राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय वर्गीकरण से परे, अपनी एससी आबादी के भीतर विशिष्ट जरूरतों को पहचानने और संबोधित करने की शक्ति है।

समग्र आउटलुक:

• सुप्रीम कोर्ट सामाजिक न्याय, समानता और योग्यता के विचारों को संतुलित करते हुए एससी श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण के औचित्य की गंभीरता से जांच कर रहा है।

• अंतिम फैसले का संभावित रूप से देश भर में आरक्षण नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

प्रीलिम्स बूस्टर

अजित पवार गुट ही असली NCP: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग (ईसी) ने विवाद को सुलझाने में निर्णायक कारक के रूप में पार्टी की विधायी शाखा में बहुमत का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अंतिम आदेश के अनुसार, अजीत पवार के गुट को 57 सांसदों, विधायकों और एमएलसी का समर्थन प्राप्त था, जबकि शरद पवार के गुट को 28 का समर्थन प्राप्त था। चुनाव आयोग ने मूलभूत कमी का हवाला देते हुए पार्टी के संगठनात्मक विंग में बहुमत के परीक्षण को खारिज कर दिया। आंतरिक चुनावों में आधार और पारदर्शिता। चुनाव आयोग ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों पर विचार किया और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए राजनीतिक दलों में "गैर-पारदर्शी कामकाज" के मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया।

📦 चुनाव आयोग (ईसी) चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधिकार के तहत किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी समूहों या वर्गों के बीच उसके नाम और प्रतीक के संबंध में विवादों का समाधान करता है।

⚖️ इस आदेश का पैराग्राफ 15 चुनाव आयोग को ऐसे विवादों को हल करने का अधिकार देता है, और इसकी कानूनी स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, जैसा कि 1971 में सादिक अली और अन्य बनाम ईसीआई के मामले में पुष्टि की गई है।

🏛️ एक समूह को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता देने से पहले, चुनाव आयोग अपने संगठनात्मक और विधायी दोनों विंगों में राजनीतिक दल के भीतर समर्थन पर विचार करता है, पार्टी के संविधान, पदाधिकारियों की सूची और प्रतिद्वंद्वी शिविरों में सांसदों और विधायकों की संख्या की जांच करता है। सदस्यों द्वारा दायर शपथ पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।

📜 निश्चित बहुमत मिलने के बाद, चुनाव आयोग एक गुट के पक्ष में विवाद का फैसला कर सकता है, उसे मान्यता प्राप्त पार्टी का नाम और प्रतीक दे सकता है, या दूसरे समूह को एक अलग राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे सकता है।

❄️ किसी भी गुट के बहुमत के बारे में अनिश्चितता के मामलों में या यदि पार्टी लंबवत रूप से विभाजित है, तो चुनाव आयोग पार्टी के प्रतीक को जब्त कर सकता है और समूहों को नए नामों या मौजूदा नामों में संशोधन के तहत पंजीकरण करने की अनुमति दे सकता है।

📦 यदि चुनाव आसन्न हैं, तो चुनाव आयोग तत्काल चुनावी उद्देश्यों के लिए पार्टी के प्रतीक को जब्त कर सकता है और निर्णय होने तक समूहों को विभिन्न नामों और अस्थायी प्रतीकों का उपयोग करके चुनाव में भाग लेने की सलाह दे सकता है।

🤝 यदि प्रतिद्वंद्वी गुट भविष्य में अपने मतभेद सुलझा लेते हैं या फिर से एकजुट हो जाते हैं, तो वे एकीकृत पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग को समूहों के एक इकाई में विलय को मान्यता देने का भी अधिकार है और वह मूल पार्टी के प्रतीक और नाम को बहाल कर सकता है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का चुनाव आयोग पांच सदस्यीय निकाय है। 2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उप-चुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। 3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (ए) केवल 1 और 2 (बी) केवल 2 (सी) केवल 2 और 3 (डी) केवल 3

UPSC Pre-2017